

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/ बोर्ड/ भा.भु.यो./ 2025/1579

भोपाल, दिनांक 9/10/2025

प्रति

संयुक्त संचालक
मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय - _____ (समस्त)

भारसाधक अधिकारी / सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति
_____ जिला - _____ (समस्त)

विषय - सोयाबीन खरीफ 2025 - भावांतर भुगतान योजना - FAQ गुणवत्ता की कृषि उपज की सैंपलिंग के संबंध में निर्देश।

अधिनियम की धारा 36 एवं उपविधि की कंडिका 16 के प्रावधानों से आप भलीभांति अवगत हैं जिसके अनुसार मंडी प्रांगण में अधिसूचित कृषि उपज की नीलामी को न्यूनतम समर्थन मूल्य से प्रारंभ किए जाने का प्रावधान है।

2. इस संबंध में पूर्व से निर्देशित किया जाता रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर विक्रय होने वाली कृषि उपज के सैंपल आवश्यक रूप से लिए जाएं और संधारित रखे जाएं। इस संबंध में पूर्व में जारी पत्र दिनांक 03.10.2024 एवं पत्र दिनांक 03.11.2021 की छायाप्रति भी संलग्न हैं।

3. वर्तमान में सोयाबीन खरीफ 2025 भावांतर भुगतान योजना प्रारंभ होना है। इस संबंध में भारत सरकार के द्वारा जारी PDPS गाइडलाइंस में यह प्रावधान किया गया है कि FAQ गुणवत्ता की कृषि उपज पर ही भावांतर का लाभ प्राप्त होगा।

4. अतएव मंडी समितियों से अपेक्षा है कि कृषकों को FAQ गुणवत्ता के सोयाबीन का बेहतर भाव उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएं। इस संबंध में सभी मंडी सचिवों को VC दिनांक 06.10.2025 के माध्यम से आवश्यक उपाय / कार्यवाही करने के संबंध में निर्देशित किया जा चुका है।

4. उक्त के अनुक्रम में निर्देशित किया जाता है कि योजना के क्रियान्वयन के संबंध में मंडी समितियों के स्तर पर निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जाए -

- i. मंडी प्रांगण / उप मंडी प्रांगण में मॉइश्चर मीटर एवं अन्य गुणवत्ता जांच उपकरण क्रियाशील रखे जाएं।

- ii. मंडी प्रांगण / उपमंडी प्रांगण में आवक हुई कृषि उपज सोयाबीन यथासंभव जांच की जाए।
- iii. सैंपल लिए जाने के संबंध में जारी पूर्व निर्देशों, जिनका उल्लेख पत्र की कंडिका में किया गया है, के पालन के साथ ही FAQ गुणवत्ता की कृषि उपज सोयाबीन, जिसके भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम तय हो रहे हैं, के सैंपल लेकर सुरक्षित रखने की कार्यवाही दिनांक 09.10.2025 से प्रारंभ की जाए।

उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।



(कुमार पुरुषोत्तम)

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/ बोर्ड/ भा.भु.यो./ 2025/ 1580

भोपाल, दिनांक 9/10/2025

प्रतिलिपि :- कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
2. स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन।
3. निज सहायक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
4. कलेक्टर, जिला - _____ (समस्त)।
5. अपर संचालक / संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
6. प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल। निर्देश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाइल।



आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/परिपत्र/2023/ 515
पति,

भोपाल, दिनांक 3 /10/2024

1. संयुक्त/उप संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,(समस्त)।
2. सचिव
कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)।

विषय:- मंडी प्रांगण में समर्थन मूल्य पर कृषि उपज की घोष नीलामी प्रारंभ करने के संबंध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्र./नियमन/248/पार्ट-4/154 भोपाल, दिनांक 03/11/2021

उपरोक्त विषय में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 36 व मंडी समितियों के लिए उपविधि सन 2000 की कंडिका 16 में उल्लेखित प्रावधानों का संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में समय-समय पर निर्देशित किया जाता रहा है। इसी संबंध में संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) से भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

अतः उपरोक्त विषय में मंडी अधिनियम, उपविधि के प्रावधानों एवं जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


03/10/24

संयुक्त संचालक (नियमन)

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/परिपत्र/2023/ 516

भोपाल, दिनांक 3 /10/2024

प्रतिलिपि :-

1. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. गार्ड फाइल।


03/10/24

संयुक्त संचालक (नियमन)

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/नियमन/248/पार्ट-4/154

प्रति

भोपाल दिनांक 3 /11/2021

संयुक्त संचालक

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

आंचलिक कार्यालय - _____ (समस्त)

भारसाधक अधिकारी/सचिव

कृषि उपज मंडी समिति

_____ जिला - _____ (समस्त)

विषय -मंडी प्रांगण में समर्थन मूल्य पर कृषि उपज की घोष नीलामी प्रारम्भ करने के संबंध में ।

म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 36 के अंतर्गत मंडी प्रांगण में विक्रय हेतु लायी गयी अधिसूचित कृषि उपज की कीमत खुली नीलामी पद्धति से निर्धारित करने की व्यवस्था है जिसमें शासन द्वारा जिन कृषि उपज का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, उस कृषि उपज की बोली समर्थन मूल्य से कम पर प्रारम्भ नहीं होने का प्रावधान है । उक्त व्यवस्था के तहत मंडी प्रांगण में जिन कृषि उपज का शासन द्वारा समर्थन मूल्य घोषित किया गया है उसके घोष नीलामी में बोली समर्थन मूल्य से ही प्रारम्भ की जाएगी । घोष नीलामी में कृषि उपज का जो विक्रय संव्यवहार समर्थन मूल्य से कम दर पर संपादित होंगे उन सभी सौदों में कृषि उपज का नमूना मंडी प्रशासन द्वारा संधारित किया जाएगा और उसमें परिशिष्ट -01 पर संलग्न "नमूना परीक्षण पर्ची" रखी जाएगी ताकि भविष्य में सौदेदार नमूना को सुगमतापूर्वक चिन्हित किया जा सके ।

मंडी प्रांगण में विक्रय होने वाली कृषि उपज की गुणवत्ता (F.A.Q/NON F.A.Q) का निर्धारण प्रांगण प्रभारी और बोलीकर्ता मंडी कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। कृषि उपज की "औसत अच्छी किस्म" (FAQ) शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर ही तय होगा। यदि प्रांगण प्रभारी और बोलीकर्ता मंडी कर्मचारी के द्वारा कृषि उपज की निर्धारित किस्म से विक्रेता / कृषक अथवा क्रेता व्यापारी सहमत नहीं होते हैं तो उस स्थिति में मामले का निराकरण मंडी सचिव द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय क्रेता/विक्रेता दोनों के लिए मान्य होगा।

उपरोक्त निर्देशों का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।



(विकास नरवाल)

प्रबंध संचालक

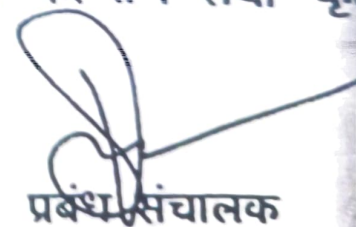
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/नियमन/248/पार्ट-4/

भोपाल दिनांक /11/2021

प्रतिलिपि - सूचनार्थ प्रेषित।

- अपर मुख्य सचिव महोदय, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।



प्रबंध संचालक

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

"नमूना परीक्षण पर्ची "

कृषक का नाम

- _____

पता

- _____

मोबाइल नो.

- _____

नीलामी दिनांक

- _____

कृषि उपज का नाम

- _____

आवक मात्रा

- _____ (बोरे)

नमूना मात्रा

- _____ (ग्राम)

नमूना क्रमांक

- _____

कृषक हस्ताक्षर

प्रांगण प्रभारी / बोलीकर्ता कर्म